सविका स0–7 / विविध–28–01 / 2026–27–228(7B)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण, भा.प्र.से

सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,

वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

द्वारा–वित विभाग ।

पटना, दिनांक– 13/05/2026

विषयः– स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य के विभिन्न सदर/अनुमंडलीय अस्पतालों में दवा की आपूर्ति के लिये बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना को दवा भंडार मद में राशि रू0 **50,00,00,000/-** (रूपये पचास करोड़) मात्र व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य के विभिन्न सदर/अनुमंडलीय अस्पतालों में दवा की आपूर्ति के लिये बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना के पत्रांक–743 दिनांक–06.05.2026 द्वारा किये गये मांग के आलोक में निगम को दवा भंडार मद में राशि रू0 **50,00,00,000/-** (रूपये पचास करोड़) मात्र व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) स्वास्थ्य विभाग के संकल्प संख्या–545(12), दिनांक–11.06.2019 के निदेशानुसार स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत दवा भण्डार मद में बजट उपबंध का (न्यूनतम) 80 प्रतिशत उपबंध राशि सीधे बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना को एवं शेष 20 प्रतिशत राशि (अधिकतम) संबंधित स्वास्थ्य संस्थानों को आवंटित किया जाना निर्दिष्ट है।

(3) इस पर होने वाले व्यय का वहन मांग सं0–20 के अंतर्गत स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय बजट मुख्य शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उप मुख्यशीर्ष–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी, लघु शीर्ष–110–अस्पताल तथा औषधालय, उपशीर्ष–0013–सदर एवं अनुमंडल अस्पताल, विपत्र कोड–**20-2210011100013** अंतर्गत (21–02) दवा भंडार मद में बजट उपबंध से प्राप्त राशि से विकलनीय होगा।

(4) इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे एवं नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित विभाग के अद्यतन परिपत्र के आलोक में राशि की निकासी सुसंगत प्रपत्रों में कर खाता अंतरण के माध्यम से निगम के पी0एल0 खाता संख्या–**PBBPLA007** एवं विपत्र कोड–**K8448001110002** तथा लेजर **ID** संख्या– में उपलब्ध करायेंगे ।

(5) बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना इस राशि का धन ऋण विवरणी (**Plus-Minus Memoranda**) माहवार तथा एतद्संबंधी सुसंगत भाउचर्स /उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ ससमय कोषागार के माध्यम से महालेखाकार, बिहार को सुलभ करायेंगे ।

(6) राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561 वि0(2), दिनांक–17.04.98, 8543 वि0(2), दिनांक–27.11.2007, संकल्प संख्या–545(12), दिनांक–11.06.2019, 12888/वि0 दिनांक–03.12.2024 तथा अद्यतन परिपत्रों के आलोक में की जायेगी ।

(7) राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी ।

(8) संबंधित प्रस्ताव में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है ।

(9) प्रस्ताव एवं प्रारूप में सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

(10) प्रस्ताव एवं प्रारूप में वित विभाग की सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

13.5.26

( शंभु शरण )
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक:–7/विविध–28–01/2026–27–228(7B)/स्वा0, पटना, दिनांक:–13/05/2026

प्रतिलिपि–वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, स्वास्थ्य भवन पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी सिविल सर्जन/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना /प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–07बी/प्रशाखा के संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13.5.26

सरकार के अपर सचिव।